न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 433–तीन/1999 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10.02.1999 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 392/1992–93 अपील

शिवराज सिंह (मृतक) पुत्र शेरसिंह
वारिस
1– श्रीमती चंद्रकला वाई पत्नि स्व.शिवराज सिंह
2– सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व.शिवराज सिंह
3– बीरेन्द्र सिंह स्व.शिवराज सिंह
4– सुश्री हेमलता वाई पुत्री स्व.शिवराज सिंह
सभी निवासी गेहूँखेड़ी तहसील नरसिंहगढ़
जिला राजगढ़ ––आवेदकगण

विरूद्ध
1– मांगीलाल पुत्र पदमसिंह
2– रामनारायण पुत्र पदमसिंह
3– मानसिंह पुत्र लाल सिंह
4– श्रीलाल पुत्र पदमसिंह
5– भवरलाल पुत्र प्रतापसिंह
6– वृजेश सिंह पुत्र इन्दरसिंह
7– इन्दर सिंह पुत्र जसबंत सिंह
सभी निवासी गेहूँखेड़ी तहसील नरसिंहगढ़
8– श्रीमती भॅवरीवाई पत्नि शिवनारायण
ग्राम सूकली तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ –– अनावेदकगण

(श्री ए.के.अग्रवाल अभिभाषक – आवेदक)
(श्री कुँअरसिंह कुशवाह अभिभाषक – अनावेदक 2,4,6,7)
(अनावेदक–1,3,5,8 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक २४ दिसम्बर, 2015)

अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 392/1992–93 अपील में पारित आदेश दि. 10.2.99 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार टप्पा तलेन नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को आवेदकगण के पति/पिता स्वर्गीय शिवराज सिंह ने आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम गेहूॅखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 18 के रकबे में से 0.190 हैक्टर, सर्वे नंबर 19 में से 0.644 है., सर्वे नंबर 20 में से 0.177 है., सर्वे नंबर 22 में से 0.444 हैक्टर, सर्वे नंबर 404 में से 1.460 हैक्टर, सर्वे नंबर 497 में से 0.367 है., सर्वे नंबर 150 रकबा 0.215 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत नामांत्रण किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 46/86-87 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 15-2-1988 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर शिवराज सिंह आवेदक का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 53/1987-88 अ 46 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-1993 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-2-1988 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 392/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.2.99 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने । आवेदक के अभिभाषक व्दारा लेखी बहस भी प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति अनावेदकगण के अभिभाषक को देकर उत्तर की अपेक्षा की गई, उनकी ओर से लेखी बहस पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1,3,5,8 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन उपरांत स्थिति इस प्रकार पाई गई

कि नायव तहसीलदार टप्पा तलेन तहसील नरसिंहगढ़ ने आदेश दिनांक 15-2-1988 में निष्कर्ष निकाला है कि पदमसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का पटटा शेरसिंह को दिया गया था, जबकि प्रकरण के तथ्यों अनुसार स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय व्दारा ली गई मौखिक साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित नहीं है कि पदमसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का उप पटटा शेरसिंह को वास्तविक रूप में दिया गया था। तहसील न्यायालय में स्वर्गीय शिवराज सिंह के कथन हुये हैं जिनमें भी शिवराज सिंह ने अंकित नहीं कराया है कि उसके पिता शेरसिंह को वादग्रस्त भूमि का उप पटटा दिया गया था और जब मौखिक साक्षीगण के कथनों से उप पटटा दिया जाना प्रमाणित नहीं है तब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168 (1) (क) को वादग्रस्त भूमि पर प्रभावशील नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ व्दारा विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने आदेश दिनांक 10.2.99 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से सहमत होते हुये हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 सहपठित 190 अनुसार उप-पटटा अथवा उपकृषकत्व भूमि देने के बदले प्रतिफल का आदान-प्रदान प्रमाणित होना अनिवार्य शर्त है परन्तु नायव तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों से उप पटटा दाता पदमसिंह एंव उप पटटाग्रहीता शेरसिंह के बीच प्रतिफल का आदान-प्रदान होना प्रमाणित नहीं हुआ है इसके वाद भी नायव तहसीलदार ने स्वर्गीय शेर सिंह को उप-पटटेदार मानते हुये उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र शिवराज सिंह को भी उप पटटेदार मानकर नामान्तरण करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 53/1987-88 अ 46 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-1993 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-2-1988 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने आदेश दिनांक 10.2.99 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस के साथ मान. सिविल जज द्वित्तीय श्रेणी नरसिंहगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16 ए/ 1965 में पारित आदेश 27-4-1967 की छायाप्रति प्रस्तुत कर यह तर्क दिया है कि वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से आवेदकगण काविज हैं जिसके कारण नायव तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 169, 190, 110 के अंतर्गत नामांत्रण किया है। मान. सिविल जज द्वित्तीय श्रेणी नरसिंहगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16 ए/ 1965 में पारित आदेश दिनांक 27-4-1967 के पद 19 का अंश उद्धरण इस प्रकार है :-

" अतः वादी पदमसिंह ने प्रतिवादी क-6 से कोई सुलहनामा किया तो वह वादग्रस्त भूमि को उन सब दायित्वों के साथ लेता है जो उस भूमि पर आरोपित हो चुके है। अतः वादी पदमसिंह प्रतिवादी शेरसिंह को इस भूमि से निष्काषित नहीं कर सकता है और उससे कब्जा भी हासिल नहीं कर सकता है "।

यह वाद पदमसिंह ने शेरसिंह आदि के विरुद्ध दायर कर कब्जा वापिसी की मांग की है जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 27-7-67 से पदमसिंह का दावा निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5-7-1993 के पद 6 में विस्तार सहित विवेचना कर संहिता की धारा 169/190/110 एंव कब्जे के आशय के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला है एंव वादग्रस्त भूमि पर मृतक शेरसिंह उसके वाद उसके पुत्र शिवराज सिंह को उपकृषक प्रमाणित होना नहीं पाया है भले ही वह वादग्रस्त भूमि के कब्जेदार रहे हों, परन्तु कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 169/190/110 के अंतर्गत उप पटटेदार प्रमाणित न होना एंव नामान्तरण की पात्रता न होने का अनुविभागीय अधिकारी ने सही निष्कर्ष निकाला है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को सही होना माना है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/1987-88 अ 46 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-1993

तथा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 392/1992-93 अपील में पारित आदेश दि. 10.2.99 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है । परिणामतः अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 392/1992-93 अपील में पारित आदेश दि. 10.2.99 यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर